

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
 अपील सं० 90/2014 अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अनवान
 केशरसिंह -हरिसिंह पि० सुब्बासिंह जाति रामगढ़िया निवासी 24एमएल त०जि०श्रीगंगानगर
 बनाम

जसवीरकौर पत्नी मिठूसिंह पुत्री बलवीरसिंह रामगढ़िया नि० 40 एफ. तह० करणपुर जिला श्रीगंगानगर वगैरह-3
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज
 नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
 तामील में जारी हुं



14.10.19

आज यह पत्रावली अभिभाषक अपीलान्त श्री उमाशंकर
 के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी । प्रार्थी केशरसिंह आदि
 की ओर से अभिभाषक श्री उमाशंकर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
 कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के
 अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.14 के विरुद्ध इस
 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलान्त आगे
 चलाना नहीं चाहता है, अतः अपीलान्त की अपील Not
 press में खारिज फरमाई जावे ।

हमने अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
 एवम् पत्रावली का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा प्रथम अपील सं०
 17/2013 अनवान जसवीर कौर बनाम केशरसिंह वगैरह में
 पारित किये गये निर्णय दिनांक 4.2.14 के विरुद्ध प्रस्तुत
 होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अभिभाषक
 अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलान्त इस
 अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा अभिभाषक
 अपीलान्त ने उक्त अपील को नोट प्रेस में खारिज करने हेतु
 निवेदन किया है । अतः यह अपील अपीलान्त अभिभाषक
 अपीलान्त के निवेदन पर Not press में खारिज की जाती
 है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का
 रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर
 बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया ।



सम्भागीय आयुक्त
 बीकानेर

अपीलान्त
 अपीलान्त चलाया
 नोट प्रेस में
 Not press -


 14-10-19